न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :— श्री सुरेन्द्र प्रसाद आर.ए.एस.

दावा	तारीख रजू	तारीख निर्णय
01 / 379 / 2024	06.08.2024	03.01.2025

उनवान

1.बसकर पत्नि शादी जाति मेव, निवासी टेलको चौराहा तिजारा मार्ग अलवर हाल निवासी ग्राम ललावण्डी तहसील रामगढ जिला अलवर।

....वादी

बनाम

1. गुरनामसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह,
2. तीर्थसिंह पुत्र राजेन्द्रसिंह,
3. हरभजनसिंह पुत्र राजेन्द्र सिंह जातियान ब्राहम्ण सिक्ख निवासीयान अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर।

....असल प्रतिवादी

4. लैण्ड होल्डर जर्ये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर।

.... तकमीली प्रतिवादी

(दावा धारा अन्तर्गत धारा 88 व 89 आरटीएक्ट)

उपस्थिति अभिभाषकगण—
श्री धर्मपाल मेघवाल—वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि आराजी हाल खसरा नम्बर 4312/1875 रकबा 0.11 हैक्ट., 4313/1875 रकबा 0.22 हैक्ट., 4314/1875 रकबा 0.14 हैक्ट. जो खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.47 हैक्ट. से तरमीम किये गये है जो वाके ग्राम अलावडा तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित है। जो उक्त वाद में विवादित आराजी है। यह है कि विवादित आराजी वादनी ने असल प्रतिवादीगण संख्या 01 ला. 03 से जर्ये बयनामा दिनांक 19.10.2020 में खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.47 हैक्ट. खरीद की थी। वक्त खरीद से ही वादनी को जहां प्रतिवादी सं. 01 ला. 03 ने कब्जा दिया वहीं पर वादनी आज तक काबिज रहकर काश्त करती चाली आ रही है। और आज भी मौके पर काबिज है। विवादित आराजी वादनी द्वारा खरीद करने के पश्चात प्रतिवादी सं. 01 ला 03 ने अपनी दीगर आराजीयारत के साथ खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.47 हैक्ट. का राजस्व रिकार्ड के मुताबिक बंटवारा कर लिया। जिससे असल प्रतिवादी सं. 01 ला0 03 के नाम खसरा नम्बर 1875 को बटंवारे अनुसार नक्शे में तरमीम करके नम्बर 4312/1875 रकबा 0.11 हैक्ट., 4313/1875 रकबा 0.22 हैक्ट., 4314/1875 रकबा 0.14 हैक्ट.बना दिये, जो खिलाफ कानून व खिलाफ मौका है। जबकि खसरा नम्बर 1875 रकबा 0.47 हैक्ट. वादनी ने जर्ये बयनाम खरीद किया है। विवादित आराजी वर्तमान में राजस्व नक्शा के विपरीत तरमीम व प्रतिवादी सं. 01 ला. 3 के नाम का इन्द्राज गलत दर्ज है। जो

उप खण्ड़ अधिकारी
रामगढ (अलवर)